"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2020 — माघ 10, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्रमांक 1032/डी. 10/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960(क्र.17 सन् 1961) का अस्थायी संशोधन किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुये प्रभावी होगा.

धारा 16-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम में, धारा 16-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"कोई भी सोसाइटी, किसी भी सरकार के उपक्रम, सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिये, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी :

परन्तु यह कि कोई भी सहकारी सोसाइटी, साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित, संकल्प द्वारा, ऐसा सहयोग कर सकेगी :

परन्तु यह और कि ऐसी सहकारी सोसाइटी को, ऐसा सहयोग करने के पूर्व, प्रत्येक मामले में, राज्य सरकार की लिखित पुर्वानुमति अनिवार्य होगी."

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्रमांक 1032/डी. 10/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अध्यादेश दिनांक 30-01-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज कुमार सिन्हा, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 1 of 2020)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Seventy First Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of Section 16-A.

3. In the Principal Act, for Section 16-A, the following shall be substituted, namely :-

"Any society may, enter into the collaboration with any Government Undertaking, Cooperative Society or any undertaking approved by the State Government or a Private enterprise for carrying on any specific business including industrial investment, financial aid or marketing and management expertise :

Provided that any society may enter into such collaboration by a resolution of the general body passed, at its general meeting by a simple majority of the members present and voting :

Provided further that in each case, the society has to take prior permission in writing of the State Government before entering into such collaboration."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.